सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या - 30 राँची, बुधवार

28 अगस्त, 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 408-425

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

19 अगस्त, 2019

संख्या-15/सा०अव०-03-02/2019 का.- 6580-- जन्माष्टमी के अवसर पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-9006 दिनांक-11.12.2018 के द्वारा एन०आई०एक्ट के तहत दिनांक-**24.08.2019 (शनिवार)** को अवकाश घोषित है।

2. राज्य में जन्माष्टमी के आयोजन की तिथि-23.08.2019 (शुक्रवार) को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में जन्माष्टमी के अवसर पर दिनांक-24.08.2019 (शनिवार) को घोषित अवकाश के स्थान पर दिनांक-**23.08.2019 (शुक्रवार)** को एन०आई०एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है।

3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-9006 दिनांक-11.12.2018 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

24 जुलाई, 2019 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-12/2019-1685--वि०स०।निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक-24.07.2019 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

[वि०स०वि०-08/2019]

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा -शर्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019

[वि०स०वि०-08/2019]

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा -शर्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 (झारखण्ड विधानसभा में पुर:स्थापन हेतु)

झारखण्ड राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा -शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 को लागू करने के संबंध में एक संशोधन विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) यह अधिनियम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. केन्द्रीय अधिनियम सं०-1996 का 27 की धारा-12 की उपधारा(1) का संशोधन :-

धारा-12 की उपधारा (1) में अभिव्यक्ति " नब्बे दिन" को अभिव्यक्ति " तीस दिन" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. केन्द्रीय अधिनियम सं०-1996 का 27 की धारा-12 की उपधारा (3) का संशोधन :-

धारा-12 की उपधारा (3) में अभिव्यक्ति " और साथ ही पचास रूपये से अधिक ऐसी फीस होगी" को विलुप्त किया जायेगा।

4. केन्द्रीय अधिनियम सं०-1996 का 27 की धारा-16 का विलोपन :-

धारा-16 की उपधारा (1) तथा (2) को विलोपित किया जायेगा।

5. केन्द्रीय अधिनियम सं०-1996 का 27 की धारा-17 का विलोपन :-

धारा-17 को विलोपित किया जायेगा।

6. केन्द्रीय अधिनियम सं०-1996 का 27 की धारा-22 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (ग) का संशोधन :-

धारा-22 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (ग) में अभिव्यक्ति " शर्तों पर" तथा " ऋण और अग्रिम" के मध्य " अनुदान", अंतस्र्थापित किये जायेंगे ।

उद्देश्य एवं अभीष्ट

ज्यादातर निर्माण श्रमिक गरीब, अशिक्षित एवं प्रवासी कर्मकार होते हैं, जिसके कारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियोजकों से 90 दिन कार्य करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस कारण उन्हें स्वयं को निर्माण श्रमिक के रूप में स्थापित कर निबंधित कराने में कठिनाई होती है। वर्तमान में सदस्यता शुल्क 10 रूपये तथा वार्षिक अंशदान 100 रूपये है जिसे बैंक में जमा करना पड़ता है। अशिक्षित एवं प्रवासी स्वभाव के कारण निर्माण श्रमिक प्रत्येक वर्ष प्रावधानित शुल्क नहीं जमा कर पाते हैं तथा इस कारण उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है तथा वे उनके लिए बनाये गये योजनाओं में निहित लाभ से वंचित रह जाते हैं। अधिनियम में निर्माण श्रमिकों के आवास की सुविधा के लिए अनुदान प्रावधानित नहीं है। अत: निर्माण श्रमिकों को आवास की सुविधा देने के लिए अनुदान हेतु अधिनियम में संशोधन भी वांछनीय है। निर्माण श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है।

यह विधेयक इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु है। इसी कारण विधेयक प्रस्तुत है।

भारसाधक सदस्य

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

25 जुलाई, 2019 ई० ।

संख्या-वि०स०वि०- 13/2019- 1709 /वि०स०। निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक-25.07.2019 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

[वि०स०वि०-09/2019]

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछडा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु आरक्षण प्रावधानित करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक, 2019

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

[वि०स०वि०-09/2019]

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019

भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रुप में अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(1) यह अधिनियम ''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) संशोधन अधिनियम, 2019'' कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य मे होगा।

(3) राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह अधिनियम तत्काल प्रभावी होगा किन्तु जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जो तिथि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के द्वारा नियत करे।

2. ''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 1 (1) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित होगी:-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 कहलायेगा।

3. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(च) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

2(च) ''आरक्षण'' से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण।

4. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(झ) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगीः-

2(झ) ''आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग'' से अभिप्रेत है; राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

5. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4(1) एवं 4(2) के प्रावधान को विलोपित करते हुए उसे निम्न् रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

4(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जाएगी, यथा-

(क)	खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से	-	40 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	-	60 प्रतिशत

4(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी:-

(क)	अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	-	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	-	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)	-	10 प्रतिशत
	कुल	-	**60 प्रतिशत**

4(2)(क) सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगाः-

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्यांक-49) की धारा-34(1) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में दिव्यांग-जनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित आरक्षण।

(ii) महिलाओं के लिए - 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी;

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा।

6. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, परन्तु ऐसे निरसन के बावजूद उक्त अध्यादेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 एवं अनुषंगी संकल्पों के द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में अनुसूचित जनजाति हेतु 26%, अनुसूचित जाति हेतु 10%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) हेतु 8% एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) हेतु 6% आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

2. भारत का संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो संविधान की धारा 15(4), 15(5) एवं 16(4) में सम्मिलित न हों, के लिए अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त की गयी है ।

3. झारखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राज्य के सेवाओं में अवसर प्रदान करने हेतु नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ।

4. तद्नुसार झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 संशोधन विधेयक, 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राज्य सरकार की सेवाओं की नियुक्तियों में 10% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है ।

5. उपर्युक्त उद्देश्य हेतु आवश्यक प्रावधान इस विधेयक में किये गये हैं, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

रघुवर दास
भारसाधक सदस्य

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

25 जुलाई, 2019 ई०।

संख्या- वि०स०वि०- 14/2019-1712--वि०स०। निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक-25.07.2019 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

[वि०स०वि०-10/2019]

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, २०१९

कारखाना प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों के लिए अधिकाल कार्य की सीमा ५० घंटें प्रति माह करने तथा रात्रि पाली में महिला कामगारों को कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से कारखाना अधिनियम, १९४८ को उसके झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :-**
   (i) यह अधिनियम कारखाना (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, **२०१९** कहा जा सकेगा ।
   (ii) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (iii) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत होगा ।
2. **१९४८ के केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३ की धारा ६४ के उप धारा (४) के खण्ड (iv) का संशोधन :-** कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३) के झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त इसकी धारा ६४ के उप धारा (४) के खण्ड (iv) में विद्यमान शब्द "**तिमाही**" के स्थान पर शब्द "**माह**" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. **१९४८ के केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३ की धारा ६५ के उप धारा (३) के खण्ड (iv) का संशोधन :-** कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३) के झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त इसकी धारा ६५ के उप धारा (३) के खण्ड (iv) में विद्यमान शब्द "**पचहतर**" के स्थान पर "**पचास**" तथा शब्द "**तिमाही**" के स्थान पर शब्द "**माह**" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. **१९४८ के केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३ की धारा ६६ के उप धारा (१) के खण्ड (b) के परंतुक (Proviso) का संशोधन :-** कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३) के झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त इसकी धारा ६६ के उप धारा (१) के खण्ड (b) में विद्यमान

"परंतुक राज्य सरकार गज़ट अधिसूचना के द्वारा इस संदर्भ में किसी कारखाने अथवा समूह अथवा वर्ग के कारखाने के लिए खण्ड (b) में दिए गए अवधि में परिवर्तन कर सकता है लेकिन इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन महिलाओं के नियोजन को रात्रि १०:०० बजे से प्रातः ०५:०० बजे तक की अवधि हेतु प्राधिकृत नहीं करेगा ।"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"परन्तु पर्याप्त सुरक्षा, संरक्षा एवं बचाव के विहित उपायों को किये जाने पर किसी कारखाने में महिला कामगार को संध्या ०७:०० बजे से प्रातः ०६:०० बजे तक की अवधि में भी कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है ।"

उद्देश्य एवं हेतु

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, २०१९ का मुख्य उद्देश्य एवं हेतु झारखण्ड राज्य में रोज़गार एवं औद्योगीकरण की तीव्रता प्रदान करना है ।

'Ease of Doing Buisness' के अंतर्गत कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ६४ की उप धारा (४) के खण्ड (iv), धारा ६५ की उप धारा (३) के खण्ड (iv) तथा धारा ६६ की उप धारा (१) के खण्ड (b) के परंतुक में संशोधन करते हुए अधिकाल कार्य में विमुक्ति की सीमा एक तिमाही में ५० घंटे के स्थान पर एक माह में ५० घंटे किये जाने का तथा रात्रि पाली में महिला कामगारों को कार्य करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ।

उपरोक्त संशोधन से जहाँ एक तरफ झारखण्ड राज्य में रोज़गार एवं औद्योगीकरण की गति में तीव्रता आयेगी तथा कारखाना प्रबंधनों को अपने उत्पादन के लक्ष्य का निर्धारण कर इसे प्राप्त करने में सुगमता होगी वहीँ दूसरी तरफ महिला एवं पुरुष कामगारों के जीवनयापन के समान अवसर प्रदान होंगे तथा विभिन्न कारखानों में कार्यरत एवं अधिकाल कार्य हेतु इच्छुक श्रमिकों के आय में बढ़ोतरी होगी ।

राज पलिवार,
भार साधक सदस्य

महेन्द्र प्रसाद,

सचिव

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

14 अगस्त, 2019 ई०।

संख्या-05/एफ०-02/38/2015- 4441--झारखण्ड अग्निशमन सेवा के **श्री सुधीर कुमार वर्मा,** सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी, अग्निशमन सेवा मुख्यालय, राँची (वेतनमान- PB II- 9300-34800 ग्रेड पे- 4600) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी (वेतनमान-PB II- 9300-34800, ग्रेड पे- 4600 सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन-लेबल-7 रू० 44,900/-) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

i. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि प्रभावी होगी।

ii. नवप्रोन्नत पदाधिकारी को प्रान्नत पद का वित्तीय लाभ पदभाग ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

14 अगस्त, 2019 ई०।

संख्या-05/एफ०-02/38/2015- 4442--झारखण्ड अग्निशमन सेवा के नवप्रोन्नत प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी श्री सुधीर कुमार वर्मा को अग्निशमन सेवा मुख्यालय, राँची में प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 अगस्त, 2019 ई०।

सं०-14/ए०-009/2015- 4408 /श्री कृष्ण कुमार, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), लोहरदगा सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-07, हजारीबाग के विरूद्ध पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा आवेदक श्री राजेश कुमार महतो, रीगल सेल्स एण्ड मार्केटिंग, बाबा मठ, पावरगंज, लोहरदगा के परिवाद पत्र पर अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के जाँच प्रतिवेदन में आये तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गयी।

उक्त संदर्भ में श्री कृष्ण कुमार के स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि श्री कुमार को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

सम्यक् विचारोपरान्त श्री कृष्ण कुमार, पुलिस उपाधीक्षक को चेतावनी देते हुए उनका स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश चन्द्र ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

14 अगस्त, 2019 ई०।

सं०सं०-06/अभि०-03/2019- 4438,--श्री दीनानाथ चतुर्वेदी, सहायक लोक अभियोजक सम्प्रति अपर लोक अभियोजक, पलामू में पदस्थापित हैं।

श्री चतुर्वेदी को गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-550, दिनांक-12.01.2007 से कैडर आवंटन झारखण्ड राज्य किया गया था। श्री श्याम चौधरी, सहायक लोक अभियोजक कैडर आवंटन बिहार के साथ आपसी सहमति के आधार पर श्री चतुर्वेदी को कैडर आवंटन बिहार राज्य एवं श्री चैधरी का कैडर आवंटन झारखण्ड राज्य किया गया।

उक्त पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप श्री चौधरी द्वारा झारखण्ड राज्य में अपना योगदान समर्पित किया गया, परन्तु श्री चतुर्वेदी द्वारा बिहार राज्य में अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया।

श्री चतुर्वेदी द्वारा आपसी सहमति के आधार पर राज्य परिवत्र्तन के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P. (S) No.- 1034/2007 दायर किया गया। दिनांक-25.01.2019 को अंतिम पारित आदेश में उक्त वाद को खारिज कर दिया गया है ।

अतः श्री चतुर्वेदी को बिहार राज्य में योगदान करने के लिए अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है।

इस पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना
20 अगस्त, 2019 ई०।

संख्या-12/पी3-1011/2018- 4482 /राज्य पुलिस सेवा (द्वितीय बैच) के निम्नांकित चार पदाधिकारियों के उनके नाम के सामने अंकित अवधि को सेवा संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में निम्नवत विनियमित किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	विनियमन अवधि
1.	श्री विकास कुमार पाण्डेय	दिनांक 30.08.2012 से 09.09.20125 तक
2.	श्री अरविन्द कुमार सिंह	दिनांक 30.08.2012 से 09.09.20125 तक
3.	श्री सादिक अनवर रिजवी	दिनांक 30.08.2012 से 10.09.2012 तक
4.	श्री विजय आशीष कुजूर	दिनांक 30.08.2012 से 10.09.2012 तक

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 अगस्त, 2019

संख्या-4/नि0 स0-12-135/2014-18042 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री उदय रजक, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-चतरा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती हैः-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	UDAY RAJAK- (110032912382)	DC OFFICE DHANBAD	DHANBAD SADAR BLOCK ,DHANBAD Block Development Officer	11/02/2013	09/09/2016

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव
जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 अगस्त,2019

संख्या-4/नि0 स0-12-161/2015-18043 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री सच्चिदानंद महतो, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-सरायकेला-खरसावाँ) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती हैः-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	SACHIDANAND MAHATO- (110023186509)	DC OFFICE LOHARDAGA	SENHA BLOCK ,LOHARDAGA Block Development Officer	11/02/2013	18/01/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव
जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 अगस्त, 2019

संख्या-4/नि० स०-12-11/2019-18266 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री धनंजय पाठक (पंचम बैच, गृह जिला- रोहतास, बिहार) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती हैः-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	DHANANJAY PATHAK- (110057710594)	DC OFFICE GIRIDIH	GANDEY CIRCLE ,GIRIDIH Circle Officer	15/06/2016	01/03/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव
जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 30 -- 50 ।